प्रश्न–1– प्रस्थापना को वचन से संपरिवतिति करने के लिए स्वीकृति आत्यान्तिक और बिना भार्त होनी चाहिए इस कथन को उदाहरणों सहित समझाइये।

उ0– भारतीय संविदा अधिनियम के अन्तर्गत प्रयुक्त शब्द ''प्रस्थापना'' (Proposal) अंग्रेजी संविदा विधि में प्रयुक्त शब्द ''प्रस्ताव'' (offer) का पर्यायवाची है धारा 2 (क) में प्रस्थापना की परिभाषा इस प्रकार की गई है–

''जो एक व्यक्ति, किसी कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने की अपनी इच्छा ऐसे कार्य या प्रविरति के प्रति किसी दूसरे की अनुमति अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस दूसरे को संज्ञात करता है, तब उसके बारे में कहा जाता है कि वह प्रस्थापना करता है।''

प्रस्थाना करने वाला व्यक्ति वचनदाता (प्रतिज्ञाकर्ता) और प्रस्थापना को प्रतिग्रहीत करने वाला व्यक्ति वचनग्रहीता (प्रतिग्रहीता) कहलाता है।

विधिक प्रस्तावना के आव"यक तत्व

(1) व्यक्ति– विधिक प्रस्थापना के लिये कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति अपने आपको प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव नहीं कर सकता है। ''व्यक्ति'' शब्द के अन्तर्गत प्राकृति व्यक्ति (natural person) तथा कृत्रिम अथवा विधिक व्यक्ति दोनों ही सम्मिलित हैं। जो व्यक्ति प्रस्थापना करता है उसे वचनदाता और जो व्यक्ति प्रस्थापना को स्वीकार करता है उसे वचनग्रहीता कहा जाता है।

(2) **प्रस्थापना की संसूचना** (Communication of Proposal)-**प्रस्थापक अथवा प्रस्तावक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव की सूचना उस व्यक्ति को दे जिसको उक्त प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव किया गया है। जैसा कि धारा 2 (क) में दी गई परिभाषा से स्पष्ट है, प्रस्थापक अथवा प्रस्तावक' किसी कार्य को करने अथवा करने में प्रविरत रहने की अपनी इच्छा दूसरे व्यक्त को संसूचित करता है। प्रतिग्रहीता बिना प्रस्थापना के जान के उसको प्रतिग्रहीत नहीं कर सकता है। पहले प्रतिग्रहीता को प्रस्थापना का ज्ञान होना. चाहिये और तत्पश्चात् उसे उसका प्रतिग्रहण करना चाहिये।**

यदि प्रस्थापना में विशेष शर्तें हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रस्थापक को चाहिये कि वह प्रतिग्रहोता अथवा स्वीकर्ता को शर्तो को युक्तियुक्त सूचना दे दे। प्रतिग्रहीता उक्त शतों से बाध्य तभी होगा जब कि उसे उन शर्तों को स्पष्ट युक्तियुक्त सूचना दे दी गई हो । उदाहरण के लियेए हेन्डरसन ब० स्टेबेन्सन के बाद में टिकट के पीछे लिखा था कि कम्पनी यात्रियों के सामान के नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं होगी, परन्तु टिकट के मुखपृष्ठ (Face) पर कई संकेत या चेतावनी नहीं थी कि शतों के लिये टिकट के पीड़े देखिये। वादी ने टिकट के पाछ नहीं देखा और शर्त को नहीं पढ़ा। एक यात्री के सामान को कम्पनी के कर्मचारियों की

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

असावधानी के कारण हानि हुई। उस यात्री में बाद संस्थित किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि उक्त शर्त की युक्तियुक्त सूचना यात्रियों को नहीं दी गई और इस कारण यह शर्त यात्रियों पर बन्धनकारी नहीं थी कि कम्पनी को यात्री के सामान को हई हानि के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

थापसन बनाम एल0 एम0 एण्ड एस0 रेलवे कम्पनी के वाद में वादी अनपढ़ होने के कारण टिकट के पीछे लिखी शर्तों को पढ़. नहीं सकता था। टिकट के मुख.पृष्ठ पर लिखा था, "शर्तों के लिए पीछे देखिये"। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी शर्तों से बाध्य था क्योंकि प्रतिवादी ने संसूचित करने के लिए जो कुछ किया था वह संसूचना देने के लिये युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त था। इसी प्रकार पारकर ब० साउथ ईस्टर्न रेलवे कम्पनी2 के वाद मे भी टिकट के मुख.पृष्ठ पर लिखा था, "पीछे देखिये'' और पीछे कतिपय शर्तें छपी थीं। वादी का तर्क था कि उसने यह तो महसूस किया कि टिकट के पीछे कुछ छपा था परन्तु उसे पढ़ा नहीं और उसे शर्तों की जानकारी नहीं हुई। न्यायालय ने निर्णय दिया कि शर्ते उस पर बन्धनकारी थी क्योंकि मुख.पृष्ठ पर लिखा शब्द "पीछे देखिये" लिली ह्वाइट ब० मुनु स्वामी के बाद में लॉन्ड्री (Laundry) द्वारा दी गई रसीद पर छपी थी कि वस्तु की हानि पर ग्राहक को उसके मूल्य का 50 प्रतिशत पाने का अधिकार होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि शर्त लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण ग्राहक पर बन्धनकारी नहीं थी ऐसी शर्त से धोने वाला व्यक्ति कपड़े का 50 प्रतिशत मूल्य देकर उसका स्वामी बन सकता है और इस प्रकार ऐसी शर्त बेईमानी को प्रोत्साहन देगी। इंग्लैण्ड में भी न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि अनुचित शर्तों को प्रभाव नहीं देना चाहिये। इंग्लैण्ड में अनफेयर कान्ट्रैक्ट्स टर्मस एक्ट, 1977 ने अनुचित खण्डों प्रभाव न देने के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान कर दी है

(3) प्रस्थापना का उद्देश्य– जैसा कि धारा 2 (क) में दी गई परिभाषा से स्पष्ट है, प्रस्थापक दूसरे पक्षकार को किसी कार्य को करने अथवा करने से प्रविरत रहने की अपनी इच्छा इस आशय से संसूचित करता है कि दूसरा पक्षकार उसके प्रति अपनी सहमति दे दे। अंत: विधिक प्रस्थापना के लिए इस प्रकार के आशय का होना आवश्यक है।

(4) विधिक सम्बन्ध सृजित करने का आशय (Intention to create legal relationship)- प्रस्थापक तथा प्रतिग्रहीत दोनों का ही आशय विधिक सम्बन्ध सुजित करने का होना

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

आवश्यक है। भारतीय संविदा अधिनियम के अन्तर्गत कोई ऐसा उपवन्ध नहीं है जो इस प्रकार के आशय को अनिवार्य घोषित करता हो। परन्तु भारतीय विधि तथा अंग्रेजी विधि दोनों में ही इस प्रकार के आशय को संविदा सृजित करने के लिए आवश्यक माना जाता है।

वार्तालाप के दौरान दिये गये आशय के कथन अथवा इजहार की स्वीकार करने बन्धनकारी प्रतिज्ञा का सृजन नहीं होता है उदाहरण के लिए, वीक्स बनोस टाइबाल्डो के बाद में बातचीत के दौरान प्रतिवादी ने वादी से उस व्यक्ति को 100 फैट देने को करहा जो उसकी पुत्री के साथ उसकी सम्पत्ति से विवाह करेगा। वादी ने प्रतिवादी की सम्पत्ति से उसका पुत्री से विवाह किया और उक्त 100 पौंड की माँग की। प्रतिवाद के अस्वीकार करने पर वाद संस्थित किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि बातचीत के दौरान प्रतिवादी ने कहा था, वह केवल आशय का कथन इजहार मात्र था और प्रस्थापना नहीं था। परिणामस्वरूप इसका स्वीकार करने से बन्धनकारी प्रतिज्ञा का सृजन नहीं हुआ था।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्रश्न–2– नाबालिग बैध संविदा करने से असमर्थ होते हैं। ''इस कथन का मार्गद''र्शक वादों की सहायता से समझाइए।

धारा 11 के अन्तर्गत इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन संविदा करने के लिये सक्षम है। धारा 11 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो कि उस विधि के अनुसार जिसके अधीन वह है वयस्कता की आयु का है और सुस्थित चित्त (स्वस्थ चित्त) का है और जिस विधि के वह अधीन है उसके द्वारा संविदा करने के अयोग्य नहीं किया गया है, संविदा करने के लिये सक्षम है।

1 अवयस्क

अवयस्क से सम्बन्धित विधि की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है

अवयस्क का अर्थ– अवयस्क से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है। अर्थात् अवयस्क से ऐसे व्यक्ति से है जो वयस्क नहीं है। अंग्रेजी विधि में एक व्यक्ति उस समय तक वयस्कता की आयु प्राप्त करता है जबकि वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है। अर्थात् अंग्रेजी विधि में 18 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति वयस्क होता है।

भारत मेंए जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वयस्क हो जाता है

परन्तु यदि वयस्क के लिये अथवा उसकी सम्पत्ति के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किया गया है तो वह उस समय वयस्क होगा जबकि 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है । इस प्रकार भारत में साधारणतः 18 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति अवयस्क होता है परन्तु अवयस्क अथवा उसकी सम्पत्ति के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किये जाने की स्थिति में 21 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति भी अवयस्क होता है। यह उल्लेखनीय है कि इंडियन मेजारिटी (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा एक समान 18 वर्ष को वयस्कता को आयु विहित कर दिया गया है।

अवयस्क के साथ किये गये करार की प्रकृति अंग्रेजी विधि.अंग्रेजी विधि का यह सामान्य नियम है कि अवयस्क के साथ की गई

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा अवयस्क के विकल्प पर शून्यकरणीय (ciodable) होती है; परन्तु इन्फैक्ट रिलीफ ऐक्ट, 1874 के अनुसार अवयस्क द्वारा की गई निम्नलिखित संविदायें पूर्ण होती है–
(क) उधार लिये गये धन अथवा उधार लिएए जाने वाले धन की पुनः देनगी की संविदा;
(ख) प्रदाय की गई अथवा की जाने वाली वस्तुओं की संविदा ;आवश्यक वस्तुओं के

लिये दी गई संविदा को छोड़कर); तथा
(ग) लेखा सम्बन्धी संविदा।

अवयस्क द्वारा आवश्यकताओं (necessaries) के लिए की गई संविदा बन्धनकारी हो सकती है। इसकी विस्तृत विवेचना धारा 68 के अन्तर्गत की गई है। ऐसी संविदा जो अवयस्क की शिक्षा के लिये की गई है, बन्धनकारी होती है, यदि वह, अवयस्क के हित के लिये है।

भारतीय विधि.– भारत में कोई ऐसा सांविधिक उपबन्ध नहीं है जो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करता हो कि अवयस्क द्वारा किया गया करार शून्य होगा अथवा शून्यकरणीय होगा। धारा 10 से केवल इतना स्पष्ट होता है कि संविदा के पक्षकार को संविदा करने में सक्षम होना चाहिए और धारा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवयस्क संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है। परन्तु दोनों हो धाराये यह स्पष्ट रूप से घोषित नहीं करती हैं कि यदि एक अवयस्क करार करता है तो वह शून्य अथवा शून्यकरणीय होगा। मोहरी बीबी ब० धर्मोदास घोष के बाद में प्रीवी कौंसिल ने यह निर्णय दिया कि अवयस्क संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है और इसलिये अवयस्क द्वारा किया गया करार शून्य है। इस वाद में लोर्ड नार्थ ने स्पष्ट कर दिया है कि अवयस्क संविदा शून्य है या इसे प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। इस वाद में धर्मोदास घोषए जो अवयस्क थाए अपनी सम्पत्ति ब्रहमदत्त के पास बन्धक रख कर 12 प्रतिशत ब्याज पर ऋण लेने का करार किया। ऋणदाता ब्रहमदत्त ने कुछ रकम तुरन्त दे दिया। ऋण सम्बन्धी समस्त आवश्यक कार्यवाही ब्रहमदत्त के अभिकर्ता केदारनाथ ने किया और कार्यवाही के दौरान ब्रहमदत्त के अभिकर्ता को यह सूचना दी गई कि धर्मोदास घेष अवयस्क था। तत्पश्चात् धर्मोदास घोष ने बन्धक को शून्य ठहराने हेतु

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। धर्मोदास घोष का तर्क यह था कि उसके अवयस्क होने के कारण बन्धक शन्य था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अवयस्क के साथ किया गया करार शून्य होता है और इसलिए बन्धक शून्य था और ऋण की जो रकम दे दी गई थी उसे भी वापस करने के लिये धर्मोदास घोष बाध्य नहीं था। विभिन्न बिन्दुओं पर प्रिवी कौंसिल के मत की व्याख्या इस प्रकार की जाती है

सामान्य नियम तो यही है कि अवयस्क के साथ किया गया करार शून्य होता है परन्तु अवयस्क को संरक्षण प्रदान करने के निमित्त न्यायालय द्वारा अनेक अपवाद सृजित किए गए हैं

इन अपवादों की व्याख्या निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत की जा सकती है

1. जबकि अवयस्क ने संविदा के अन्तर्गत उत्पन्न अपने आभारों को पूरा कर दिया है.– यदि अवयस्क संविदा के अन्तर्गत उत्पन्न अपने आभार को पूरा कर दिया है और उसे कुछ भी करना शेष नहीं रह गया है तो वह प्रतिज्ञाग्रहीता (promisee) की स्थिति में होता है और वह संविदा को दूसरे वयस्क पक्षकार के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता है। परन्तु यदि वयस्क पक्षकार संविदा के अन्तर्गत उत्पन्न अपने आभार को पूरा कर देता हैं और अवयस्क पक्षकार अपने आभार को पूरा नहीं किया है तो वयस्क पक्षकार संविदा को अवयस्क पक्षकार के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं कर सकता। यदि अवयस्क पक्षकार बन्धक के आधार पर दूसरे

अवयस्क पक्षकार को ऋण देने का करार करता है और स्थिति यही है कि बन्धक अवयस्क के पक्ष में कर दिया गया है और अवयस्क ने बन्धकथन अर्थात् ऋण की रकम दूसरे पक्षकार को दे दिया है तो अवयस्क अथवा उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति बन्धक को प्रवर्तित करा सकता है। परन्तु यदि स्थिति यह हो कि वयस्क पक्षकार बन्धक के आधार पर अवयस्क को ऋण दिया है तो वह बन्धक को प्रवर्तित नहीं कर सकता है। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष में प्रतिपादित सिद्धान्त को उन्हीं संविदाओं के सम्बन्ध में लागू किया जाता है जिसके अन्तर्गत अवयस्क को अपना दायित्व पूरा करना है और दूसरा पक्षकार जो वयस्क है उसके दायित्व या आभार को प्रवर्तित कराने हेतु वाद चलाना चाहता है। यदि संविदा के अन्तर्गत अपने आभार को प्रवर्तित कराने हेतु वाद चलाना चाहता है। यसिंविदा के अन्तर्गत अपने आभार को अवयस्क ने पूरा कर दिया है और उसके द्वारा अब कुछ भी किया जाना बाकी नहीं है, अर्थात् अवयस्क ने पूर्ण प्रतिफल जो उसके द्वारा अब कुछ भी किया जाना बाकी नहीं है अर्थात अवयस्क ने पूर्ण प्रतिफल जो उसके द्वारा किया जाना था दे चुका है और संविदा उनके हित में हैं तो न्यायालय अवयस्क को संविदा प्रवर्तित कराने देती है इस प्रकार यदि वयस्क व्यक्ति की प्रतिज्ञा के बदले में अवयस्क ने केवल प्रतिज्ञा किया है परन्तु उसे

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

पूरा नहीं किया है तो मोहरी बीबी ब0 धर्मोदास घोष में प्रतिपादित सिद्धान्त लागू होता है और संविदा शून्य होती परन्तु यदि अवयस्क ने केवल प्रतिज्ञा नहीं किया है बल्कि प्रतिफल दे दिया है अर्थत् प्रतिफल निष्पादित (execused) है और संविदा अवयस्क लाभ के लिये हैं तो वलीदाद खाँ बनाम जनक सिंह के वाद में एक वयस्क ने मुद्रा का भुगतान करके **जमींदारी सम्पत्ति को क्रय किया। एक तृतीय व्यक्ति ने वाद संस्थित करके उसे जमींदारी** . सम्पत्ति से बेदखल कर दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि जमींदारी सम्पत्ति के बदले में अवयस्क ने जो मुद्रा दी थी वह उसे वापस लेने का हकदार था। परन्तु इसके लिये प्रतिफल पूर्ण रूप से विफल या व्यर्थ होना चाहिये उदाहरण के लिए एक वाद में एक अवयस्क के नाम एक कम्पनी के कुछ अंश का आवण्टन हुआ। अवयस्क ने आवेदन तथा आवण्टन पर देय अंश मूल्य का भुगतान किया और तत्पश्चात प्रथम माँग (call) का भी भुगतान कर दिया। इस प्रकार अवयस्क द्वारा अंश मूल्य के कुछ भाग का भुगतान कर दिया गया परन्तु अवयस्क ने न तो लाभांश प्राप्त किया और न ही वह कम्पनी की बैठक में उपस्थित हुआ। 18 महीने बाद अवयस्क ने अंशों के आवण्टन को निरस्त करने तथा उसके सम्बन्ध में दिये गये धन को वसूल करने के लिये वाद चलाया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अवयस्क अंशधारियों के रजिस्टर से अपना नाम हटवा कर संविदा को रद्द करवा सकता था और उन अंशों पर देय राशि के भुगतान से बच सकता था परन्तु उन अंशों के सम्बन्ध में जो राशि का उसने भुगतान कर दिया था उसे वापस नहीं ले सकता था। इस स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिफल पूर्ण रूप से विफल या व्यर्थ हो गया क्योंकि अंश पूर्ण रूप से मूल्यहीन या व्यर्थ नहीं थे।

यदि अवयस्क का संरक्षक अवयस्क की ओर से संविदा करने के लिए प्राधिकार रखता है और अवयस्क के लिए संविदा उसके (अवयस्क) भले के लिये करता है तो संविदा प्रवर्तनीय होगी। यदि किसी अवयस्क की ओर से उसका संरक्षक उस अवयस्क की सम्पत्ति का बीमा कराता है तो बीमा कम्पनी यह तर्क नहीं दे सकती कि जिस व्यक्ति की ओर से और जिसकी सम्पत्ति का बीमा कराया गया। वह अवयस्क था और इस कारण बीमा की. संविदा शून्य की। ऐसी दशा में अवयस्क बीमाकृत धन वसूल कर सकता है। किसी अवयस्क के संरक्षक द्वारा अवयस्क के विवाह के लिये की गई संविदा अवयस्क की इच्छा पर प्रवर्तनीय होगीए यदि न्यायालय द्वारा यह संविदा अवयस्क के भले के लिए की गई पायी जाती है। वह उल्लेखनीय है कि ऐसी स्थिति में की गई संविदा अवयस्क की इच्छा पर प्रवर्तनीय होगी परन्तु अवयस्क के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगी। विवाह की संविदा अवयस्क के भले के लिये समझी जाती है। भारत में अधिकांश समुदायों में यह परम्परा है कि अवयस्क के माँ.बाप या संरक्षक उसका विवाह तय करते हैं। इस प्रकार अवयस्क के लाभ के लिये तथा उसकी ओर से उसके संरक्षक द्वारा की गई विवाह की संविदा आवश्यक द्वारा प्रवर्तित कराई जा सकती है परन्तु अवयस्क के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। यदि करार अवयस्क की ओर से अवयस्क के पिता के साथ किया गया है तो इस दशा में भी यह करार शून्य है और इसके आधार पर न तो अवयस्क और न-ही फिळा निर्माता। संविदा भंग का

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

वाद ला सकता है। यदि करार अवयस्क के पिता के साथ किया गया है तो ऐसी दशा में फिल्म निर्माता का वचन प्रतिफल रहित होने के कारण शून्य हो जायेगा। अवयस्क का वचन उसके विरुद्ध प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, अर्थात् अवयस्क का वचन अप्रवर्तनीय होने के कारण फिल्म निर्माता के वचन के लिये प्रतिफल नहीं हो सकता। (निर्माता और अवयस्क के पिता के मध्य करार का प्रतिफल फिल्म में काम करने का अवयस्क का वचन है और अवयस्क का वचन प्रवर्तनीय न होने के कारण अच्छा प्रतिफल नहीं होता है और परिणामस्वरूप अवयस्क के पिता और फिल्म निर्माता के मध्य हुये करार की दशा में फिल्म निर्माता का वचन प्रतिफल द्वारा समर्थित न होने के कारण शुन्य है और इस कारण फिल्म निर्माता और अवयस्क के पिता के मध्य हुये उक्त करार के आधार पर भी संविदा भंग का वाद विधिवत नहीं लाया जा सकता। संविदा का विशिष्ट पालन (Specific Performance of Contract) एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या अवयस्क के साथ की गई संविदा का विशिष्ट पालन

(Specific Performance) कराया जा सकता है? अर्थात् क्या संविदा के पक्षकारों को अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने को कहा जा सकता है? उदाहरण के लिये यदि क से भवन क्रय करने की संविदा करता है तो ख को इस बात के लिए विवश करना कि वह वही भवन क को हे जिसके लिये उसने संविदा किया था, संविदा का विशिष्ट पालन कहा जाता है। यदि न्यायालय ख को यह आदेश नहीं देता है कि वह वही भवन क को दे जिसको देने के लिए सतिता किया था बल्कि ख को क्षतिपूर्ति देने का आदेश देता है तो इसे संविदा का विशिष्ट पान कराना नहीं कहा जा सकता है। संविदा का विशिष्ट पालन कराना एक साम्यिक उपचार है और यह तभी प्रदान किया जाता है जब कि दोनों पक्षकार उपचार के अधिकारी हो अर्थात पारस्परिकता (Mutuality) हो। अवयस्क द्वारा की गई संविदा सून्य होती है।

अनुसमर्थन (Ratification)

अवयस्क के साथ की गई संविदा प्रारम्भ से ही शून्य होती है और इस कारण अवयस्कता में की गई संविदा का अनुसमर्थनए वयस्क होने पर नहीं किया जा सकता है। अर्थात् एक अवयस्क वयस्क होने परए उस संविदा का अनुसममर्थन नहीं कर सकता है जो कि उसने वयस्कता की दशा में किया था। ।।

उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति एक ऋणदाता से अपनी अवयस्कता की दशा में 1,000 रु० लेता है और अवयस्क होने के लिए उसी ऋणदाता से 500 रु० पुनः ऋण के रूप में लेता है और तत्पश्चात् (वयस्कता की दशा में)

सम्पूर्ण ऋण की रकम (1.500 रु०) देने की प्रतिज्ञा करता है। यह प्रतिज्ञा प्रवर्तनीय होगी। कि यदि कोई व्यक्ति अवयस्कता में लिये गये ऋण का भुगतान वयस्क होने के बाद कर देता है तो वह उसे वापस नहीं ले सकता है। इसका कारण यह हैं कि अवयस्क के साथ की गई संविदा शून्य है, परन्तु अवैध नहीं, और यह अनुज्ञेय है कि कोई

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

व्यक्ति वयस्कता प्राप्त करने पर यह चुने कि वह अवयस्कता में लिये गये ऋण का भुगतान करेगा।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्रश्न–3– करार के आव"यक तत्वों की विवेचना कीजिए। क्या प्रत्येक करार संविदा होती है।

भारतीय संविदा अधिनियम के अन्तर्गत प्रयुक्त शब्द ''प्रस्थापना'' (Proposal) अंग्रेजी संविदा विधि में प्रयुक्त शब्द ''प्रस्ताव'' (offer) का पर्यायवाची है धारा 2 (क) में प्रस्थापना की परिभाषा इस प्रकार की गई है–

''जो एक व्यक्ति, किसी कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने की अपनी इच्छा ऐसे कार्य या प्रविरति के प्रति किसी दूसरे की अनुमति अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस दूसरे को संज्ञात करता है, तब उसके बारे में कहा जाता है कि वह प्रस्थापना करता है।''

प्रस्थाना करने वाला व्यक्ति वचनदाता (प्रतिज्ञाकर्ता) और प्रस्थापना को प्रतिग्रहीत करने वाला व्यक्ति वचनग्रहीता (प्रतिग्रहीता) कहलाता है।

विधिक प्रस्तावना के आव"यक तत्व

(1) व्यक्ति– विधिक प्रस्थापना के लिये कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति अपने आपको प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव नहीं कर सकता है। ''व्यक्ति'' शब्द के अन्तर्गत प्राकृति व्यक्ति (natural person) तथा कृत्रिम अथवा विधिक व्यक्ति दोनों ही सम्मिलित हैं। जो व्यक्ति प्रस्थापना करता है उसे वचनदाता और जो व्यक्ति प्रस्थापना को स्वीकार करता है उसे वचनग्रहीता कहा जाता है।

(2) **प्रस्थापना की संसूचना** (Communication of Proposal)-**प्रस्थापक अथवा प्रस्तावक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव की सूचना उस व्यक्ति को दे जिसको उक्त प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव किया गया है। जैसा कि धारा 2 (क) में दी गई परिभाषा से स्पष्ट है, प्रस्थापक अथवा प्रस्तावक' किसी कार्य को करने अथवा करने में प्रविरत रहने की अपनी इच्छा दूसरे व्यक्त को संसूचित करता है। प्रतिग्रहीता बिना प्रस्थापना के जान के उसको प्रतिग्रहीत नहीं कर सकता है। पहले प्रतिग्रहीता को प्रस्थापना का ज्ञान होना. चाहिये और तत्पश्चात् उसे उसका प्रतिग्रहण करना चाहिये।**

यदि प्रस्थापना में विशेष शर्तें हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रस्थापक को चाहिये कि वह प्रतिग्रहोता अथवा स्वीकर्ता को शर्तो को युक्तियुक्त सूचना दे दे। प्रतिग्रहीता उक्त शतों से बाध्य तभी होगा जब कि उसे उन शर्तों को स्पष्ट युक्तियुक्त सूचना दे दी गई हो । उदाहरण के लियेए हेन्डरसन ब० स्टेबेन्सन के बाद में टिकट के पीछे लिखा था कि कम्पनी यात्रियों के सामान के नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं होगी, परन्तु टिकट के मुखपृष्ठ (Face) पर कई संकेत या चेतावनी नहीं थी कि शतों के लिये टिकट के पीड़े देखिये। वादी ने टिकट के पाछ नहीं देखा और शर्त को नहीं पढ़ा। एक यात्री के सामान को कम्पनी के कर्मचारियों की

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

असावधानी के कारण हानि हुई। उस यात्री में बाद संस्थित किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि उक्त शर्त की युक्तियुक्त सूचना यात्रियों को नहीं दी गई और इस कारण यह शर्त यात्रियों पर बन्धनकारी नहीं थी कि कम्पनी को यात्री के सामान को हई हानि के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

थापसन बनाम एल0 एम0 एण्ड एस0 रेलवे कम्पनी के वाद में वादी अनपढ़ होने के कारण टिकट के पीछे लिखी शर्तों को पढ़. नहीं सकता था। टिकट के मुख.पृष्ठ पर लिखा था, "शर्तों के लिए पीछे देखिये"। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी शर्तों से बाध्य था क्योंकि प्रतिवादी ने संसूचित करने के लिए जो कुछ किया था वह संसूचना देने के लिये युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त था। इसी प्रकार पारकर ब० साउथ ईस्टर्न रेलवे कम्पनी2 के वाद मे भी टिकट के मुख.पृष्ठ पर लिखा था, "पीछे देखिये'' और पीछे कतिपय शर्तें छपी थीं। वादी का तर्क था कि उसने यह तो महसूस किया कि टिकट के पीछे कुछ छपा था परन्तु उसे पढ़ा नहीं और उसे शर्तों की जानकारी नहीं हुई। न्यायालय ने निर्णय दिया कि शर्ते उस पर बन्धनकारी थी क्योंकि मुख.पृष्ठ पर लिखा शब्द "पीछे देखिये" लिली ह्वाइट ब० मुनु स्वामी के बाद में लॉन्ड्री (Laundry) द्वारा दी गई रसीद पर छपी थी कि वस्तु की हानि पर ग्राहक को उसके मूल्य का 50 प्रतिशत पाने का अधिकार होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि शर्त लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण ग्राहक पर बन्धनकारी नहीं थी ऐसी शर्त से धोने वाला व्यक्ति कपड़े का 50 प्रतिशत मूल्य देकर उसका स्वामी बन सकता है और इस प्रकार ऐसी शर्त बेईमानी को प्रोत्साहन देगी। इंग्लैण्ड में भी न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि अनुचित शर्तों को प्रभाव नहीं देना चाहिये। इंग्लैण्ड में अनफेयर कान्ट्रैक्ट्स टर्मस एक्ट, 1977 ने अनुचित खण्डों प्रभाव न देने के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान कर दी है

(3) प्रस्थापना का उद्देश्य– जैसा कि धारा 2 (क) में दी गई परिभाषा से स्पष्ट है, प्रस्थापक दूसरे पक्षकार को किसी कार्य को करने अथवा करने से प्रविरत रहने की अपनी इच्छा इस आशय से संसूचित करता है कि दूसरा पक्षकार उसके प्रति अपनी सहमति दे दे। अंत: विधिक प्रस्थापना के लिए इस प्रकार के आशय का होना आवश्यक है।

(4) विधिक सम्बन्ध सृजित करने का आशय (Intention to create legal relationship)- प्रस्थापक तथा प्रतिग्रहीत दोनों का ही आशय विधिक सम्बन्ध सुजित करने का होना

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

आवश्यक है। भारतीय संविदा अधिनियम के अन्तर्गत कोई ऐसा उपवन्ध नहीं है जो इस प्रकार के आशय को अनिवार्य घोषित करता हो। परन्तु भारतीय विधि तथा अंग्रेजी विधि दोनों में ही इस प्रकार के आशय को संविदा सृजित करने के लिए आवश्यक माना जाता है। वार्तालाप के दौरान दिये गये आशय के कथन अथवा इजहार की स्वीकार करने बन्धनकारी प्रतिज्ञा का सृजन नहीं होता है उदाहरण के लिए, वीक्स बनोस टाइबाल्डो के बाद में बातचीत के दौरान प्रतिवादी ने वादी से उस व्यक्ति को 100 फैट देने को करहा जो उसकी पुत्री के साथ उसकी सम्पत्ति से विवाह करेगा। वादी ने प्रतिवादी की सम्पत्ति से उसका पुत्री से विवाह किया और उक्त 100 पौंड की माँग की। प्रतिवाद के अस्वीकार करने पर वाद संस्थित किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि बातचीत के दौरान प्रतिवादी ने कहा था, वह केवल आशय का कथन इजहार मात्र था और प्रस्थापना नहीं था। परिणामस्वरूप इसका स्वीकार करने से बन्धनकारी प्रतिज्ञा का सृजन नहीं हुआ था।

(5) प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव की नि"चतता– प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव नि"चत होना चाहिये। यदि प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव नि"चत नहीं है अर्थात् स्पष्ट है तो वह वैध नहीं होगा।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.